आवेदक / अभियुक्त भगवत की ओर से श्री आर०पी०एस० गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र0सं० पर विचार हेतु नियत है।

प्रकरण में आवेदक / अभियुक्त भगवत की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर द्वारा द्वितीय नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि प्रथम आवेदन पत्र दिनांक 30.08.17 को निरस्त किया जा चुका है तथा मामले में चालान पेश हो जाने के कारण परिस्थितियां परिवर्तित हो जाने से प्रस्तुत उक्त द्वितीय जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0पी0एस0 गुर्जर द्वारा द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक मालनपुर फैक्ट्री में नौकरी करने आता है एवं घटना के समय वह बाहर आवश्यक कार्य से चला गया था। आवेदक ने कभी भी रूबी से दहेज के संबंध मांग नहीं की थी। पुलिस थाना मालनपुर ने असत्य अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, जबिक उक्त अपराध से अभियुक्त का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक दिनांक 14.08.2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण में चालान प्रस्तुत हो जाने के कारण परिस्थितियाँ परिवर्तित हो गई हैं एवं प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने दहेज मृत्यु जैसे गंभीर अपराध किये जाने संबंधी आवेदक के कृत्य को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये एवं चालान प्रस्तुत हो जाने से परिस्थितियाँ परिवर्तित नहीं होना बताते हुये द्वितीय जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रकरण

का अवलोकन किया गया, जिससे दर्शित है कि प्रकरण में चालान प्रस्तुत हो जाने के पश्चात आवेदक / अभियुक्त भगवत के विरूद्ध धारा 304–बी एवं विकल्प में 302 अथवा 302/34 भा0दं0सं0 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं, जो गंभीर प्रकृति के अपराध हैं तथा इस न्यायालय द्वारा आवेदक / अभियुक्त भगवत की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० का गुण-दोष के आधार पर पूर्व में ही दिनांक 30.08.17 को निराकरण हो जाना स्वयं आवेदक पक्ष ने बताते हुये उक्त द्वितीय जमानत आवेदन पत्र को प्रस्तुत करते ह्ये प्रकट किया है कि मामले में चालान प्रस्तुत हो जाने से परिस्थितियां परिवर्तित हो चुकी है, लेकिन यह भली-भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि मात्र चालान प्रस्तुत हो जाने से मामले की परिस्थितियाँ परिवर्तित हो जाने की संज्ञा नहीं दी जा सकती है तथा प्रथम जमानत आवेदन पत्र निरस्त हो जाने के पश्चात मामले की परिस्थितियों में कोई सारभूत परिवर्तन भी नहीं हुआ है।

अतः उक्त समस्त के आलोक में प्रस्तृत द्वितीय जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा ४३९ दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु पूर्ववत नियत दिनांक 17.05.2018 को THE STATE

(सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड